INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 6.865 (SJIF 2023)

महिला सशक्तिकरण: समस्याएँ और समाधान

(Women Empowerment: Problems and Solutions)

डॉ. नीरजा तिवारी सिंह

सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़ (छ.ग.)

E-mail: itsnirja05@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/07.2023-32756995/IRJHIS2307004

प्रस्तावना :

महिला सशक्तिकरण का मुद्दा वर्तमान में सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है क्योंकि जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है, वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का सीान महत्वपूर्ण होता है साथ ही राष्ट्र–निर्माण में भी नारी केन्द्रीय भूमिका निभाती है क्योंकि जब समाज सशक्त और विकसित होता है तब राष्ट्र भी मजबूत होता है। ''सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलता और सामाजिक परिस्थितियो पर निर्भर है। सदियों से शोषित–पीड़ित और पुरूषों से कमतर आंकी जाने वाली महिलाओं में ऐसी क्षमता का विकास करना ताकि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। उन्हें अपने परिवार और समाज में वह सम्मानजनक स्थान दिलाना है जिसकी वह अधिकारिणी है। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता पुरूषों द्वारा महिलाओं पर किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हुई।'' १

सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज या किसी सामाजिक व्यवस्था में हासिए पर विद्यमान तबकों, जो विभिन्न सुख–सुविधाओं से वंचित है, का उत्थान करने एवं उनके सर्वाधिकारों से सुसज्जित करने से है ताकि विकास की मुख्य धारा में वे भी शामिल होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके, से है। ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उसकी क्षमता स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके।''२

किसी भी समाज में सर्वाधिक हासिये पर महिलाएँ ही विद्यमान है, अत: इनके सशक्तिकरण की चर्चा एवं मांग आज जोरों पर है। आज सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय समाज एवं शब्द की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता देने की माँग एवं कोशिश लगातार की जा रही है ताकि ये अपने सर्वाधिकारों को प्राप्त कर गरिमामय तरीके से अपना

जीवन–निर्वाह कर सके तथा राष्ट्र के चहुँदिश विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके। इस संदर्भ में न केवल पारिवारिक, स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न प्रयास किये जा रहे है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा, आरक्षण और विभिन्न स्तरों पर इनकी सहभागिता के द्वारा इनको सशक्त करने का प्रयास किये जा रहे है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा, आरक्षण और विभिन्न स्तरों पर इनकी सहभागिता के द्वारा इनको सशक्त करने का प्रयास वैयक्तिक और सरकारी दोनों स्तरों पर किये जा रहे है परंतु फिर भी आज ये लम्बे सफर में कुछ ही दूरी तय कर सकी है। इसके मूल में यदि हम देखते है तो पाते हैं कि इनके सशक्तिकरण के लिए वे अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये जो होने चाहिए और न ही इन प्रयासों में निरन्तरता, सामूहिकता, एकजुटता, पारदर्शिता एवं समर्पण का भाव रहा है। इनके सशक्तिकरण के मार्ग में ढेरों सारी रूकावटें एवं समस्याएँ विद्यमान है जिनकों समयानुसार निराकरण का प्रयास नहीं किया गया। इसी संदर्भ में इनके सशक्तिकरण के मार्ग में विद्यमान रूकावटों या बाधाओं को दूर किया जा सके एवं इन्हें गरिमामय जीवन अवसर मुहैया कराया जा सके।

वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकजुट प्रयास किये जा रहे है। इनके सशक्तिकरण का प्रयास समाज में हर एक स्तर पर, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इत्यादि, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों तथा विधि–विधानों के माध्यम से प्रयास जारी है। यहाँ पर हम भारत एवं विश्व दोनों के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों तथा इसके मार्ग आने वाली रूकावटों और उनके समाधानों का अलग–अलग विश्लेषण करेंगे। ''आज दुनिया का काई भी ऐसा देश नही है, जहां महिलाओं के अधिकारों उनके सम्मान तथा उनकी अस्मिता को बचाये रखने की चर्चा न की जा रही हो। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की आधी आबादी में महिलायें है।'' ३

सर्वप्रथम हम भारत के संदर्भ में इसे विश्लेषित करेंगे। भारत के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में सर्वप्रथम हम विचार करते है तो यह पाते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ नारी का स्थान बहुत सम्मानजनक था और हमारा अखण्ड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था। परंतु कालान्तर में यहाँ नारी की स्थिति में 'हास हुआ और मध्य–काल तक आते–आते यह हास अपने चरम पर जा पहुंचा। हड़प्पा संस्कृति में नारी तथा पुरूष एक समान है। हिन्दू समाज में होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की सहभागिता आवश्यक मानी गई। वैदिक युग में तो नारी का स्थान काफी उच्च था। इस समय में विद्यमान प्राचीन धर्मग्रन्थों में लिखित एक सूत्र वाक्स 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' से इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय नारी की स्थिति काफी सुदृढ़ था तथा इनको पुरूषों के समान बराबरी हक मिला हुआ था। परंतु उत्तर वैदिक काल के आते–आते नारी की स्थिति दयनीय होने लगी तथा मध्य काल में इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। इसके गर्त में जाकर जब हम विचार करते है तो पाते है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन के साथ ही भारतीय नारी के जीवन की करूणा गाथा का

इतिहास आरम्भ होने लगता है। आततायियों की काम लोलुप दृष्टि से बचने के लिए पर्दा प्रथा का सूत्रपात हुआ और इसी के साथ नारियों को घर की चारदीवारी में कैद होना पड़ा।

नारियों की रक्षा अब उसके भाई, पिता और पति द्वारा की जाने लगी अथवा वे जौहर द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा करती थी। तात्तपर्य यह कि धीरे–धीरे नारियाँ पुरूषों पर आश्रित होती चली गई। विदेशी आततायियों से वे स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती थी इसीलिए उन्हें अबला कहा जाने लगा। अंग्रेजों के आगमन के साथ नारियों की स्थिति में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अंग्रेज चूँकि आधुनिक विचारधारा के थे और नारियों के प्रति उनका दृष्टिकोण पारम्परिक भारतीय दृष्टिकोण से काफी बदलाव लिए हुए थे। इन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आधुनिक मूल्य प्रणाली जैसे–व्यक्ति की गरिमा, सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली, सार्वभौमिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ईत्यादि के समावेशन पर जोर दिया । अब यहीं से महिलाओं की स्थिति में सुधार और विकास का आरम्भ होता है। इस समय तक चूँकि विभिन्न सामाजिक बुराईयाँ जैसे – पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जौहर प्रथा, जाति प्रथा में विद्यमान विसंगतियाँ, छुआ–छूत भेदभाव, लैंगिक असमानता, इत्यादि समस्याएँ भारतीय समाज में घर कर चुकी थी। विद्यमान परम्परागत मानसिकता एवं रूढ़िवादिता के चलते भी परिवर्तन का अंश सीमित ही रहा।

भारत की आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हुए। ''परंतु ये सभी प्रयास महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। गॉवों तक इन प्रयासों के सूचना जन संचार माध्यमों से पहुंचती है पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रयासों का प्रभाव कम ही दिखाई पड़ता है। परिषामत: ग्रामीण महिलाएं क्षमतावान और ऊर्जावान होकर भी सशक्तिकरण या अधिकार चेतना से वंचित रह जाती हैं। ''सशक्तिकरण के बुनियादी मानदडों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति योगदान और आगे बढ़ने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी उपेक्षा का शिकार है। उन्हें भी सशक्त बनाना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है।'' ४

सर्वप्रथम संविधान में इनकों पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया गया एवं साथ ही इनके चहुँदिश विकास के लिए संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि मूलाधिकार के अंतर्गत तथा राज्य के नीति के निदेशकों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान करते हुए इनके सर्वांगीण विकास तथा गरिमामय जीवन–अवसर मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई। विभिन्न कानूनों अथवा अधिनियम १९५४, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९७६, वेश्यावृति अधिनियम १९८६, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम १९५९ (१९८६ में संशोधित), स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम १९८६, प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम २००५, इत्यादि के द्वारा इनकी प्रस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं को ३३: सीटों के आरक्षण हेतु ७३वें ७४वाँ संविधान संशोधन लागू किया गया। अभी हाल ही में मंत्रीमंडल द्वारा इसमें इजाफा किया गया और ५०: आरक्षण को मंजूरी प्रदान की गई।

भारतीय दण्ड संहिता में स्त्री की लज्जा भंग करने को अपराध घोषित किया गया तथा साथ ही

विधानमंडलों एवं संसद में इनको आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयकों पर विचार–विमर्श भी प्रक्रिया में है साथ ही इनकी स्थिति में सुधार हेतु अनुशंसा के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन भी समय–समय पर किया जाता रहा है। १९७५ को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करना, १९९२ में देश में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, १९९३ में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष २००१ को महिला सशक्तिकरण घोषित किया जाना, इत्यादि भी इनके सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर साबित हुई है। साथ ही वर्तमान में केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सामाजिक सहायता कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नवीनतम प्रयास जारी है, जैसे कि स्वधार योजना, स्वावलम्बन योजना, स्वयं सिद्धा योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, आशा योजना, स्वर्णिम योजना, बालिका प्रोत्साहन राशि योजना, छात्रवृद्धि योजना, अल्पावधि प्रवास गृह, बालिका समृद्धि योजना, परिवार परामर्श केन्द्र, स्अेप योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, बिल योजना, किशोरी शक्ति योजना, वंदेमातरम् योजना, उज्जवला योजना इत्यादि योजनाओं के द्वारा। वर्तमान में विभिन्न महिला कोषों का गठन तथा वर्ष २०१३ में महिला बैंक की शुरूवात भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवीनतम प्रयास है जिनकी बदौलत आज महिलाएँ वित्तीय रूप से भी सुदृढ़ हो रही है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को वर्तमान में जागरूक बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में इनका शैक्षणिक विकास, राजनीतिक जागरूकता एवं सक्रियता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यो का इनके द्वारा निर्वाह, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए रोजगार की व्यवस्था, साथ ही पारिवारिक कर्तव्यों का अन्य कार्यों के साथ निर्वहन की सुविधा इत्यादि को देख सकते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आज भी महिलाएँ विभिन्न स्तरों पर पिछड़ी हुई है, दमित एवं पीड़ित है, तथा आज भी ये शोषण की शिकार है तथा विकास की मुख्य धारा से कटी हुई है एवं हासिए पर विद्यमान है। ‘‘ग्रामीण समाज में औरतें आज भी परिवार और समाज के शोषण का शिकार हैं। लड़कियों का जन्म गांव में आज भी अशुभ माना जाता है। कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही लड़की को मार दिया जाता है।‘‘ ५

इस प्रकार आज भी महिलाओं की स्थिति में वह सुधार नहीं आ पाया जो वास्तव में होना चाहिए। आज भी ”ये प्रत्येक समाज में सर्वाधिक पिछड़ी हुई है तथा पुरुषों के सापेक्ष कुंठा का शिकार है। इनके सर्वागीण विकास नहीं होने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण हमारी रूढ़ियों एवं परम्पराओं में विद्यमान है तथा इनके सशक्तिकरण में यह सर्वप्रमुख बाधक तत्त्व बना हुआ है। इसमें सर्वप्रथम पुरुष प्रभुत्व मानसिकता को देख सकते है जिसकी बदौलत आज भी महिलाओं उनका वाजिब हक नहीं मिल सका है। आज भी पुरुष वर्ग महिलाओं को अपनी प्रभुत्ता में दबाकर रखने को तत्पर है जिसको अशिक्षा, जागरूकता के अभाव स्त्रियों का अपने प्रति असुरक्षा की भावना एवं पुरुषों पर निर्भरता ;पहले पिता फिर पति तथा बाद में बेटे पर निर्भरता, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, सरोगेसी, जाति प्रथा की बंदिशें एवं खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान, कन्या भ्रूण हत्याएँ और विभिन्न स्तरों पर विद्यमान लैंगिक भेदभाव जैसे

कि, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इत्यादि रतरों पर, बल प्रदान कर रहे हैं जिससे इनके सशक्तिकरण के लिए उठाये. जा रहे कदम नाकाफी पड़ते जा रहे है।

कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं में परिलक्षित होती है अत: यह बात सर्वविदित कि महिलाएँ ही समाज की वास्तविक रचनात्मक शक्ति होती है। यदि उनकी स्थिति समाज में उपेक्षित व कमजोर हो तों समाज ंवम प्रगति नहीं कर सकता। साथ ही विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक नारी की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है। अत: इनके सशक्तिकरण का हर संभव प्रयास अपरिहार्य है। इस संदर्भ में हमें इनकी हर स्तर पर सहभागिता को सुनिश्चित" करना होगा, त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी होगी, उन पर हो रही हिंसा का अंत करना होगा, उन्हें शान्ति के प्रत्येक पहलू और सुरक्षा की तमाम प्रक्रियाओं में शरीक करना होगा, उनके आर्थिक व राजनीतिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण को करते हुए राष्ट्रीय विकास योजनाओं व बजटिंग प्रक्रिया में भी ं कल को केंद्र बिन्दु में बनाए रखना होगा। साथ ही उपयुक्त शैक्षणिक माहौल का भी विकास करना होगा क्योंकि शिक्षा एक ऐसा कारगर अस्त्र है जो सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे को बदल सकता है तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के वत में विद्यमान कमियों को पाट सकता है। इस प्रकार ठोस व यथार्थवादी पहल के द्वारा महिलाओं को एक उत्साहवर्द्धक सामाजिक वातावरण उपलबंध कराया जा सकता है। इससे सशक्तिकरण की राह आसान होगी तथा सर्वत्र सामाजिक एवं एकीकरण का भाव भी पनपेगा।

महिला सशक्तिकरण के द्वारा हमें लगभग आधी आबादी (महिलाओं की), जो अब तक सभी प्रकार के अधिकारों, सुख–सुविधाओं इत्यादि से वंचित थी कोई समाज की सुख्य धारा में शामिल करने और ढालने का हर संभव प्रयास करन होगा। इस प्रकार इन्हें हमें आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक मानव संसाधन के रूप में भी तब्दील करना होगा ताकि न केवल राष्ट्र का बल्कि पूरे विश्व का सर्वांगीण विकास हो सके और सभी गरिमा पूर्ण जीवन के बदल अवसर प्राप्त कर सके। वर्तमान में हमे पाते है कि किसी भी देश की विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने के लिए उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा इत्याति के साथ–साथ उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है, अत: आने वालें कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार करना होगा, जिसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अपरिहार्य है तथा इसके (इनके सशक्तिकरण के) मार्ग में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान भी हम होगा और उन्हें न्याय। होगा, सभी क्षेत्रों में चाहे वे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ हो या विवाह संबंधी निजी कानून का क्षेत्र हो। दुनिया की इस लगभग आधी आबादी को विकास के मार्ग पर लाकर हम विकास की गेति को दुगुना कर सकते है। यह आवश्यक तो है ही, इसकी जरूरत भी है। सभी को पता है कि महिलाओं में अपार क्षमता निहित है। इन्हें सबल और सशक्त कर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक. रूप से सुदृढ़ बना सकेंगे। महिला सशक्तिकरण के संबंध में अंबेडकर जी का यह विचार उल्लेखनीय है ''मैं किसी समाज की उन्नति का अनुमान इससे लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना

राष्ट्र की उन्नति असंभव है।'' ६

संदर्भ ग्रंथ सूची:

१. महिला विकास एवं सशक्तिकरण, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, पृष्ठ सं. १०

२. भोजवानी सुनीता (२००८) भारत में महिला सशक्तिकरण कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यु, पृष्ठ सं. ५९

३. सेतिया सुभाष (२००८) ''स्त्री सुस्मीता के प्रश्न'' प्रकाशन — कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. १६९

४. सेतिया सुभाष (२००८) ''स्त्री सुस्मीता के प्रश्न'' प्रकाशन — कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. ६५

५. चौधरी, एम.पी. (२०११) ''महिलाएँ : सामजिक अधिकार'' प्रकाशन ठाकुर एंड संस, दिल्ली, पृष्ठ सं. १३१—१३२

६. ग्रामीण विकास समीक्षा (पत्रिका) का महिला सशक्ति विशेषांक, डब्लू.आर. रेड्डी (संपादक) पृष्ठ सं. ५३

International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies
IRJHIS